संख्या-779/2026/1438/22-2-2024-17(913)/2021

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हर्ष वर्धन पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) के पत्र संख्या-27404/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.09.2024) दिनांक-06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हर्ष वर्धन पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, न्यू बी0आई0पी0रोड, कस्बा विन्ध्याचल थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। जजमानी में मिले पैसे के बटवारे के विवाद को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरा, राड से वारकर व कट्टा से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 01 व्यक्ति को घायल कर दिया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण-32/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 7 किमिनल लॉ अमेडमेन्ट एक्ट एवं 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 18.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बदी की अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 06.05.2022 तक 16 वर्ष, 02 माह, 05 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 08 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगें निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जजमानी में मिले पैसे के बटवारे के विवाद को लेकर बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2003 को अपने 3 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरा, राड से वारकर व कट्टा से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई व 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हर्ष वर्धन पाठक पुत्र सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नु को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हर्ष वर्धन पाठक (बन्दी संख्या-300/2009) पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-779/2026/1438/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-779/2026/1438/22-2-2024-17(913)/2021

दिनांक 18 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हर्ष वर्धन पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, न्यू बी0आई0पी0रोड, कस्बा विन्ध्याचल थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। जजमानी में मिले पैसे के बटवारे के विवाद को लेकर बन्दी ने दिनांक 05.12.2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरा, राड से वारकर व कट्टा से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 01 व्यक्ति को घायल कर दिया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण-32/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 7 किमिनल लॉ अमेडमेन्ट एक्ट एवं 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 18.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बदी की अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 06.05.2022 तक 16 वर्ष, 02 माह, 05 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 08 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगें निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जजमानी में मिले पैसे के बटवारे के विवाद को लेकर बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2003 को अपने 3 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरा, राड से वारकर व कट्टा से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई व 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हर्ष वर्धन पाठक पुत्र सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नु को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in